भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 306

सोमवार, 08 अगस्त, 2022/17 श्रावण, 1944 (शक)

केन्द्रीय पेंशन संवितरण प्रणाली

***306. श्री सु. थिरुनवुक्करासर:**

श्री रवनीत सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) वर्तमान में अपने लाभार्थियों को अलग-अलग समय और दिनों में पेंशन का वितरण कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उनके समक्ष कई कठिनाइयां आती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एक ही समय में 73 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए पेंशन जमा करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली केन्द्रीय पेंशन संवितरण प्रणाली की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) देश में इस प्रस्तावित केन्द्रीय पेंशन वितरण प्रणाली द्‌वारा पेंशनभोगियों को मिलने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार के पास कई कार्य क्षेत्रों को केंद्रीकृत करके ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या को कम करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*   ****

"केन्द्रीय पेंशन संवितरण प्रणाली" के संबंध में श्री सु. थिरुनवुक्करासर और श्री रवनीत सिंह, माननीय सांसदों द्वारा दिनांक 08.08.2022 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 306 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को महीने के अंतिम कार्य दिवस या उससे पहले पेंशन संवितरित करने के अनुदेश जारी किए हैं। सामान्यतया, पेंशन महीने के अंतिम कार्य दिवस को जमा की जाती है। हालांकि, कई बार तकनीकी कारणों से या अन्यथा, पेंशन अंतिम कार्य दिवस के अलावा अन्य दिनों में जमा हो जाती है।

(ख): जी, नहीं।

(ग) और (घ): उपरोक्त प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ङ): जी, नहीं।

*****